

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
कुशीनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
पावानगर सेन्ट्रल स्कूल
मधुरिया, कुशीनगर।

पत्रांक/

1538-43 / 2021-22 दिनांक 08-07-2021

विषय:-

अंग्रेजी माध्यम से कक्षा संचालित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा संस्था पावानगर सेन्ट्रल स्कूल मधुरिया, कुशीनगर की हाईस्कूल स्तर तक हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने हेतु अनुरोध किया है तथा संगत अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त संस्था को हाईस्कूल की मान्यता क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के पत्रांक/मा0शि0प0 /मान्यता/39 दिनांक 12-07-2019 द्वारा प्रदान की गयी है।

परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता के अध्याय-सात के विनियम-8 में उल्लिखित है कि " संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा-कक्षा एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।" उक्त के क्रम में संस्था पावानगर सेन्ट्रल स्कूल मधुरिया, कुशीनगर को हाईस्कूल स्तर तक अंग्रेजी माध्यम से कक्षा संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यह आदेश भविष्य में उक्त से सम्बन्धित शासनादेश/नियमों में होने वाले परिवर्तन के अधीन होगा। साथ ही प्रकरण में किसी भी प्रकार का तथ्यगोपन पाये जाने पर उक्त आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय

जिला विद्यालय निरीक्षक
कुशीनगर।

पू0स0/ 1538-43 / 2021-22 दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी कुशीनगर।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर।
- 5- क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।

जिला विद्यालय निरीक्षक
कुशीनगर।



Manager
Pawanagar Central School
Madhuria, Kushinagar (U. P.)